यह निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, श्रीदेव सुमन संयुक्त चिकित्सालय, नरेन्द्र नगर, टिहरी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, श्रीदेव सुमन संयुक्त चिकित्सालय, नरेन्द्र नगर, टिहरी के माह 01/2017 से 01/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुधीर कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री खुशी राम वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 16-02-2018 से 20-02-2018 तक श्री दनिश इकबाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री संतोष कुमार गुप्ता एवं भानु प्रताप सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा विजय कुमार वरिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा 12/01/2017 से 17/01/2017 तक श्री आई॰ के॰ जुयाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था । जिसमें माह 03/2014 से 12/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2017 से 01/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(अ) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, श्रीदेव सुमन संयुक्त चिकित्सालय, नरेन्द्र नगर, टिहरी का मुख्य कार्यकलाप चिकित्सालय में आकस्मिक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जाती हैं तथा प्रसव की सेवायें निशुल्क दी जाती हैं।

(ब) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, श्रीदेव सुमन संयुक्त चिकित्सालय, नरेन्द्र नगर, टिहरी एवं इकाई द्वारा संचालित योजनाओं का भौगोलिक क्षेत्र समस्त नरेन्द्र नगर क्षेत्र है।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-) (समर्पण)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	00	5.96	348.34	337.52	40.00	39.54		10.82(समर्पण) 6.42(शेष)
2015-16	00	6.42	367.88	341.02	36.00	29.20		26.86(समर्पण) 13.22(शेष)
2016-17	00	13.22	432.84	390.72	37.00	41.25		42.12(समर्पण) 8.97(शेष)
2017-18 (Up to Jan. 2017	00	8.97	414.14	396.90	0	8.97		17.24

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य (+)	बचत (-)
2015-16	एन एच एम	8.45	8.45	8.96		7.94
2016-17	एन एच एम	7.94	13.85	10.72		5.44 (वापस) 5.63 (शेष)
2017-18	एन एच एम	5.63	2.20	2.28		5.55

(ii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्त्रोत राज्य सरकार से प्राप्त होते है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. प्रमुख सचिव 2. सचिव 3. महा निदेशक 4 निदेशक 5 अपर निदेशक/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी 6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक 7 चिकित्साधिक्षक 8. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी 9. चिकित्साधिकारी 10. मिनिस्टीरियल संवर्ग
2. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, श्रीदेव सुमन संयुक्त चिकित्सालय, नरेन्द्र नगर, टिहरी को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, श्रीदेव सुमन संयुक्त चिकित्सालय, नरेन्द्र नगर, टिहरी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।
3. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 01 : दिशा निर्देशों का पालन न कर जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत धनराशि रूपये **3.95** लाख की सहायता राशि के अनियमित भुगतान।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना को एक महत्वपूर्ण अंतक्षेप के रूप में समाविष्ट किया गया था जिससे महिलाओं की पहुँच संस्थागत प्रसवों तक हो सके एवं जिसके प्रभाव से मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लायी जा सके। जे॰ एस॰ वाई॰ का उद्देश्य सभी महिलाओं को वित्तीय पैकेज उपलब्ध कराकर संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत सरकार द्वारा जारी जननी सुरक्षा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभार्थी को प्रसव के समय अथवा प्रसव के सात दिन पहले तक किया जा सकता है।

जननी योजना हेतु भारत सरकार द्वारा जारी कार्यान्वयन दिशा-निर्देशों के अनुसारः-

1. प्रसव की संभावित तिथि से 16-20 सप्ताह पूर्व JSY फार्म भरा जाना चाहिए;
2. प्रसव की संभावित तिथि से 2 सप्ताह पूर्व पूर्ण भरे हुए JSY कार्ड स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी के सत्यापन के लिए प्रस्तुत किए जाने चाहिए;

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक श्रीदेव सुमन संयुक्त चिकित्सालय, नरेन्द्र नगर, टिहरी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 01/2017 से 01/2018 तक JSY योजना के अंतर्गत कुल रूपये 3,95,200.00 व्यय किया गया था। उक्त अवधि में जननी सुरक्षा योजना के प्रत्येक मामलें में JSY कार्ड प्रसव के समय या प्रसव के बाद भरे गए थे, जबकि दिशा-निर्देशों के अनुसार JSY कार्ड प्रसव की संभावित तिथि से 16-20 सप्ताह पूर्व भरा जाना चाहिए एवं प्रसव के बाद प्रभारी चिकित्साधिकारी को भुगतान के इस बात का प्रमाणपत्र देना चाहिए था कि लाभार्थी JSY के मानदंडों के अनुसार लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है। परंतु किसी भी मामलें में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा यह प्रमाणपत्र अंकित नहीं किया गया। इसी तरह अधिकतर मामलों में चिकित्सालय द्वारा referral कार्ड संग्रहीत नहीं किए गए थे।

इस प्रकार वर्ष 01/2017 से 01/2018 तक जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत दिशा-निर्देशों का पालन न करते हुए रूपये 3.95 लाख का अनियमित भुगतान किया गया।

आगे अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि लाभार्थीयों में से 155 (155*1400=217000) ग्रामीण तथा 13 (13*1000=13000) शहरी क्षेत्र की महिलाओं को धनराशि प्रसव के 02 से 29 दिन की देरी से कुल धनराशि रुपए 2,30,000.00 का भुगतान किया गया था जबकि लाभार्थियों को भुगतान प्रसव के समय अथवा प्रसव के सात दिन पहले तक ही किया जाना चाहिए था। लेकिन चिकित्सालय के द्वारा विलम्ब से भुगतान किया गया।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने उत्तर दिया कि भविष्य में दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय पर JSY प्रपत्र भरा जाएगा, पहचान पत्र एवं referral कार्ड संग्रहीत न किए जाने के अवगत कराया गया कि भविष्य में निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि लाभार्थियों को भुगतान दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जाना चाहिए था, जो विभाग द्वारा नहीं किया गया। अतः दिशा निर्देशों का पालन न कर जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत धनराशि रूपये 3.95 लाख की सहायता राशि के अनियमित भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो (ब)</u>

प्रस्तर 0**2** : विभागीय उदासीनता के कारण रूपये **3.68** लाख के अनियमित व्यय किया जाना।

शासनादेश संख्या 984/5-1-2004 (80) 95 दिनांक 28 जून 2000 में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि राजकीय चिकित्सालयों में पंजीकरण शुल्क तथा विभिन्न प्रकार के चिकित्सीय परीक्षण सेवा/ सुविधाओं के प्रसंग में प्राप्त होने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत अंश संबन्धित चिकित्सा इकाई के स्तर पर ही रखा जायेगा और इस धनराशि का उपयोग तत्प्रयोजन हेतु गठित समिति के संकल्प के अनुसार पूर्व निर्धारित मदों में ही किया जायेगा।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, श्रीदेव सुमन संयुक्त चिकित्सालय, नरेन्द्र नगर, टिहरी के यूजर चार्जेस अभिलेखों कि जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 01/2017 से 01/2018 तक विभाग द्वारा शासनादेश के अनुसार निर्धारित मदों पर व्यय के अतिरिक्त अन्य मदों पर भी व्यय किया गया था। यूजर चार्जेस के रूप में प्राप्त धनराशि का प्रयोग शासनादेश में वर्णित मदों से अन्य मदों जैसे कार्यालय व्यय, टेलीफोन/ विददुत देयकों के भुगतान, जल कर, एवं अन्य आदि पर किया जा रहा था।

क्रं सं	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2017-18 (जनवरी 18)
1	जल कर	100060	55202
2	विदद्युत बिल	138298	28625
3	टेलीफोन बिल	15654	7541
4	कार्यालय व्यय	12650	00
5	अन्य	3219	6661
योग		269881.00	98029.00

अतः उक्त विवरण से स्पष्ट था कि विगत वर्षों (2016-17 से 01/2018 तक) में रू॰ 3,67,910.00 का शासनादेश के विपरीत अन्य मदों पर अनियमित व्यय किया गया।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा यह अवगत कराया गया कि अत्यन्त आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा प्रबन्धन समिति से स्वीकृत करा कर व्यय किया गया।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि यूजर चार्जेस के रूप में प्राप्त धनराशि से व्यय के सम्बंध शासनादेश में प्रत्येक मद के सम्बंध में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है की किस मद पर व्यय किया जाना है लेकिन विभागीय उदासीनता कारण एवं निर्देशों की अनदेखी करते हुये धनराशि रूपये 3,67,910.00 का अनियमित व्यय किया गया।

अतः विभागीय उदासीनता के कारण रूपये 3.68 लाख के अनियमित व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 01 : विभागीय उदासीनता के कारण धनराशि रूपये **1.29** लाख का अनियमित व्यय ।

सीड मनी /अनटाइड निधि के उपयोग संबंधी दिशानिर्देशों में उल्लेखित है कि सीड मनी /अनटाइड निधि का उपयोग केवल चिकित्सालय की मरम्मत/ सुधार कार्यों, पुताई एवं स्वच्छता संबंधी कार्यों पर किया जाना चाहिये। सीड मनी /अनटाइड निधि का उपयोग अन्य कार्यों जैसे स्टेनशनरी, औषधियों प्रचार प्रसार पर नहीं करना चाहिए।

श्रीदेव सुमन संयुक्त चिकित्सालय नरेन्द्र नगर, टिहरी के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सम्प्रेक्षा अवधि 01/2017 से 01/2018 में सीड मनी/अनटाइड निधि में से चिकित्सालय की मरम्मत/ सुधार कार्यों, पुताई एवं स्वच्छता संबंधी कार्यों पर न करके धनराशि रूपये 1.29 लाख का व्यय स्टेशनरी, औषधियों, प्रचार प्रसार पर किया गया है।

क्र.सं.	वर्ष	किस मद पर व्यय किया	विक्रेता का नाम	राशि
1	2016-17	औषधि	इंडियन ड्रग्स & फर्मास्यूटिकल लिमिटेड	3633.00
2	2016-17	औषधि	हर्ष मेडिकोस	39011.00
3	2016-17	औषधि	रेखा फर्मास्यूटिकल	29398.00
4	2016-17	औषधि	रेखा फर्मास्यूटिकल	31126.00
5	2016-17	अन्य व्यय (साइन बोर्ड)	मून आर्ट्स	25687.00
कुल योग				**128855.00**

विभागीय उदासीनता के कारण धनराशि रूपये 1.29 लाख का उपयोग व्यय स्टेशनरी, औषधियों, प्रचार प्रसार पर किए जाने से चिकित्सालय के मरम्मत एवं सुधार कार्यों पर धनराशि का उपयोग नहीं किए जाने से चिकित्सालय के सुधार कार्यों को बाधित किया गया।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा यह अवगत कराया गया कि उक्त मदों पर व्यय चिकित्सा प्रबंधन समिति द्वारा पारित किया जाता है। भविष्य में नियमानुसार व्यय किया जाएगा।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि यूजर चार्जेस के रूप में प्राप्त धनराशि से व्यय के सम्बंध शासनादेश में प्रत्येक मद के सम्बंध में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है की किस मद पर व्यय किया जाना है लेकिन विभागीय उदासीनता कारण एवं निर्देशों की अनदेखी करते हुये धनराशि रूपये 1,28,855.00 का अनियमित व्यय किया गया।

अतः विभागीय उदासीनता के कारण रूपये 1.29 लाख के अनियमित व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 02 : चिकित्सकों तथा सहयोगी स्टाफ की कमी के कारण चिकित्सा सेवा पर दुष्प्रभाव।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक श्रीदेव सुमन चिकित्सालय नरेन्द्र नगर, टिहरी गदवाल में निम्नलिखित चिकित्सक एवं सहयोगी स्टाफ की कमी थी-

क्रम संख्या	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	**01**	**00**	**01**
2	चर्म रोग विशेषज्ञ	01	00	01
3	रेडियोलोजिस्ट	01	00	01
4	पैथोलोजिस्ट	01	00	01
5	ओर्थोपेडिक सर्जन	01	00	01
6	नेत्र सर्जन	01	00	01
7	ई एन टी सर्जन	01	00	01
8	एक्सरे टेकनीशियन	01	00	01
9	कनिष्ठ सहायक	01	00	01
10	नर्सिंग असिस्टेंट	01	00	01
11	सफाई सेवक	04	01	03
12	दायी	01	00	01

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक श्रीदेव सुमन चिकित्सालय नरेन्द्र नगर, टिहरी गदवाल में चिकित्सको एवं सहयोगी स्टाफ के 14 पद रिक्त थे प्रश्नगत पदों के रिक्त रहने के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर एवं सरकारी योजनाओं के संचालन तथा अनुश्रवण के कार्यों में बाधा व कठिनाई होना स्वभाविक था तथा स्थानीय जनता को मिलने वाले स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। चिकित्सालय हेतु कुल स्वीकृत पद 74 के सापेक्ष 60 पदों पर तैनाती थी शेष 14 पद रिक्त थे।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा यह अवगत कराया गया कि उक्त पदों पर नियुक्ति न होने के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आम जनता को मिलने वाली स्वास्थ सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।

विभाग का उत्तर स्वयं लेखा परीक्षा की आपत्ति की पुष्टि करता है चिकित्सालय में स्टाफ की भरी कमी थी तथा पदो के रिक्त रहने के कारण स्वास्थ सेवाओं पर एवं सरकारी योजनाओं के संचालन तथा अनुश्रवण के कार्यों मे बाधा व कठिनाई हो रही थी तथा स्थानीय जनता को मिलने वाली स्वास्थ सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।

अतः त्रुटिपूर्ण मानव संसाधन प्रबंधन एवं चिकित्सको तथा सहयोगी स्टाफ की कमी के कारण चिकित्सा सेवा पर दुष्प्राभाव का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**
03/2006-07	1	1	1,2
68/2008-09	01	शून्य	शून्य
127/2016-17	शून्य	1,2,3	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	----------	अप्रस्तुत -------		

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, श्रीदेव सुमन संयुक्त चिकित्सालय, नरेन्द्र नगर, टिहरी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या ।

3. सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्र. सं.	नाम	पद नाम	अवधि
1	डा॰ मनोज बहुखंडी	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	06.08.16 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, श्रीदेव सुमन संयुक्त चिकित्सालय, नरेन्द्र नगर, टिहरी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.